कार्यालय नजारत–अनुभाग, जिला–जजी, लखीमपुर–खीरी।

संख्याः 835 सी0एन0 / वाहन नीलामी / 2017 / दिनांकः 07–04–2017

वाहन–नीलामी हेतु विज्ञप्ति

वाहन कय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी की निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी वाहन एम्बेस्डर कार सं0–यू0पी0 31 एफ/1500 मेक माडल मार्च 2003 की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 27–04–2017 को सायंकाल 4:00 बजे जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी के सभाकक्ष में जिलाधिकारी लखीमपुर–खीरी की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

उपरोक्त प्रत्येक वाहन के लिए प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि मु0 5000/– रूपया नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पहले नजारत अनुभाग, जिला–जजी लखीमपुर–खीरी में जमा करनी होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली की 1/4 धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात सात दिन के अन्दर सम्बन्धित वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने के पूर्व जमा करनी होगी। शेष 3/4 धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर तथा वाहन का कब्जा न लेने पर जमा की गई समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर, जमा कर लिया जायेगा। न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार नीलामी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को होगा। नीलामी समिति को किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी, जब समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी लखीमपुर–खीरी द्वारा बोली अनुमोदित/स्वीकृत कर दी जायेगी। अन्तिम स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। नीलामी के पूर्व उक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्य–दिवस में जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर–खीरी में किया जा सकता है तथा वाहन को जहॉ जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा। केता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जो अनुमन्य है, यथा वैट पंजीयन स्थानान्तरण शुल्क आदि जमा करना / स्वयं वहन करना होगा। विज्ञप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट **www.allahabadhighcourt.in** पर उपलब्ध है।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला–जजी, खीरी।
07–04–2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व वेबसासाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2 जिलाधिकारी / एन0आई0सी0, लखीमपुर–खीरी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 (विज्ञापन विभाग) लखनऊ को विज्ञप्ति के सर्वाधिक प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4 जिला सूचनाधिकारी लखीमपुर–खीरी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5 जनपद लखीमपुर–खीरी के समस्त मुख्य कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1 कार्यालय जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

2 कार्यालय पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर–खीरी।

3 कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

4 कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

5 कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

6 कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

7 कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर–खीरी।

8 कार्यालय वन विभाग, लखीमपुर–खीरी।

9 कार्यालय तहसीलदार सदर, लखीमपुर–खीरी।

10 रेलवे स्टैण्ड, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

11 नोटिस बोर्ड, जिला जजी, लखीमपुर–खीरी।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला–जजी, खीरी।
07–04–2017